



सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

77/2025 शीर्षक TDR वाजपति बनाम R-14 मजिस्ट्रेट

कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
<p>09-05-25 नकल.....136.....नोटिस जारी कर धारते जवाब दि.....05-05-25 को पेश हो।</p>	
<p>सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द</p>	
<p>30-05-25 पत्रावली - पैका डी. पैका वाज डफ / पैका सं 1 व 2 के नोटिस बाद तालिम प्राप्त होकर वाज डफ डी पैका सं 1 व 2 अनुपरिक्षा वाजपति सुचना के अनुपरिक्षा बहने से लक्ष्यीक कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। पैका सजा की बहस सुनी गयी। पिछले निर्णय / आदेश प्रथम से लिखवाया जाकर वाज डफ किया गया। पत्रावली - तालिम सुनाए होकर नम्बर से करी है।</p>	
<p>सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द</p>	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द


पीठासीन अधिकारी का नाम - बृजेश गुप्ता (R.A.S)

मुकदमा नम्बर - 77/2025

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक - 09.05.2025

निर्णय दिनांक - 30.05.2025



अनवान

1. तहसीलदार राजसमन्द तह व जिला राजसमन्द।

.....प्रार्थी

बनाम

1. आर. के. मार्बल प्रा. लि. मोरवड तहसील व जिला राजसमन्द।

2. वण्डर वॉलकेयर प्रा. लि. ओल्ड फतहपुरा उदयपुर।

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

अधिवक्ता प्रार्थीया - परोकार राज

विपक्षीगण - अनुपस्थित

निर्णय

प्रार्थी तहसीलदार राजसमन्द ने प्रार्थना पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोरवड की वर्तमान जमाबंदी, आधार संवत् 2077 के खाता संख्या 211 के खसरा नं. 67 क्षेत्रफल 1.8939 हैक्टेयर, किस्म-बीड़-2, खसरा नं. 68 क्षेत्रफल 0.6232 हैक्टेयर, किस्म-बीड़-2 कुल खसरा-02, कुल क्षेत्रफल 2.5171 हैक्टेयर ग्राम मोरवड, पटवार हल्का पिपलांत्री कलां, तहसील-राजसमन्द, जिला-राजसमन्द के राजस्व रिकॉर्ड में मैसर्स आर. के. मार्बल प्रा. लि. मोरवड, तहसील व जिला राजसमन्द 5/8, मैसर्स वण्डर वॉलकेयर प्राईवेट लिमिटेड, ओल्ड फतहपुरा, सेवा मन्दिर के पास, उदयपुर 1/8 सा. उदयपुर, सोहनलाल पुत्र चैनराम 1/4 जाति ब्राह्मण सा. देह के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम मोरवड की जमाबंदी संवत् 2043-2049 के खाता संख्या 42 के खसरा नं. 67 क्षेत्रफल 11-14 बीघा, किस्म-बीड़-2, खसरा नं. 68 क्षेत्रफल 3-17 बीघा कुल किता 02, कुल क्षेत्रफल 15-11 बीघा ग्राम मोरवड, पटवार हल्का पिपलांत्री कलां, तहसील-राजसमन्द, जिला-राजसमन्द के राजस्व रिकॉर्ड में श्री गणेशलाल तुलसीराम सेवाराम परसराम हिरालाल पिता डालचन्द, देवकिशन गोर्धन देवीलाल सत्यनारायण पिता गणेशलाल, परसराम चैनराम पिता नगजीराम, चुन्नीलाल गोपीलाल पिता खेमराज ब्राह्मण सा. देह हि. ब. के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। जरिये नामान्तरण संख्या 345 दिनांक 17.09.1991 से परसराम के बजाय विरासत से राधाकिशन मगनलाल पिता परसराम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जरिये नामान्तरण संख्या 393 दिनांक 14.06.1993 रिलीजडीड से हिस्सा देवकिशन गोर्धन देवीलाल सत्यनारायण के बजाय चैनराम पिता नगजीराम दर्ज हुआ। ग्राम मोरवड की जमाबंदी संवत् 2050-2053 के खाता संख्या 43 के खसरा नं. 67 क्षेत्रफल 11-14 बीघा, किस्म-बीड़-2, खसरा नं. 68 क्षेत्रफल 3-17 बीघा कुल किता 02, कुल क्षेत्रफल 15-11 बीघा ग्राम मोरवड, पटवार हल्का पिपलांत्री कलां, तहसील-राजसमन्द, जिला-राजसमन्द के राजस्व रिकॉर्ड में श्री गणेशलाल तुलसीराम सेवाराम परसराम हिरालाल पिता डालचन्द, राधाकिशन मगनलाल पिता परसराम, चैनराम पिता नगजीराम, चुन्नीलाल गोपीलाल पिता खेमराज ब्राह्मण सा. देह हि.ब. के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। देवकिशन गोर्धन देवीलाल सत्यनारायण का हिस्सा चैनराम पिता नगजीराम के हिस्से में जुड़ना था या चैनराम पिता नगजीराम का नाम खाते में दो बार आना चाहिए था परन्तु सहवन से हिस्सा नहीं जुड़ पाया एवं खाते में नाम भी एक बार ही लिखा गया जिसके कारण देवकिशन गोर्धन देवीलाल सत्यनारायण का आधा हिस्सा ही चैनराम

M
कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

पिता नगजीराम के जुड़ा तथा आधा हिस्सा राधाकिशन मगनलाल पिता परसराम के जुड़ गया।
 ग्राम मोरवड़ की जमाबंदी संवत् 2054-2057 के खाता संख्या 45 के खसरा नं. 67 क्षेत्रफल
 11-14 बीघा, किस्म-बीड़-2, खसरा नं. 68 क्षेत्रफल 3-17 बीघा कुल किता 02, कुल क्षेत्रफल
 15-11 बीघा ग्राम मोरवड़, पटवार हल्का पिपलांत्री कलां, तहसील-राजसमन्द,
 जिला-राजसमन्द के राजस्व रिकॉर्ड में श्री गणेशलाल तुलसीराम सेवाराम परसराम हिरालाल
 पिता डालचन्द, राधाकिशन मगनलाल पिता परसराम, चैनराम पिता नगजीराम, चुन्नीलाल
 गोपीलाल पिता खेमराज ब्राह्मण सा. देह हि. ब. के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है।
 जरिये ना.क. सं. 551 दि. 15.03.2000 द्वारा वसीयत से श्री चैनराम पिता नगजीराम के बजाय
 श्री सोहनलाल पिता चैनराम का नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। ग्राम मोरवड़ की जमाबंदी
 संवत् 2058-2061 के खाता संख्या 58 के खसरा नं. 67 क्षेत्रफल 11-14 बीघा,
 किस्म-बीड़-2, खसरा नं. 68 क्षेत्रफल 3-17 बीघा कुल किता 02, कुल क्षेत्रफल 15-11 बीघा
 ग्राम मोरवड़, पटवार हल्का पिपलांत्री कलां, तहसील-राजसमन्द, जिला-राजसमन्द के राजस्व
 रिकॉर्ड में श्री गणेशलाल तुलसीराम सेवाराम परसराम हिरालाल पिता डालचन्द, राधाकिशन
 मगनलाल पिता परसराम, सोहनलाल पिता चैनराम, चुन्नीलाल गोपीलाल पिता खेमराज ब्राह्मण
 सा. देह हि.ब. के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम मोरवड़ की जमाबंदी संवत्
 2062-2065 के खाता संख्या 57 के खसरा नं. 67 क्षेत्रफल 11-14 बीघा, किस्म-बीड़-2,
 खसरा नं. 68 क्षेत्रफल 3-17 बीघा कुल किता 02, कुल क्षेत्रफल 15-11 बीघा ग्राम मोरवड़,
 पटवार हल्का पिपलांत्री कलां, तहसील-राजसमन्द, जिला-राजसमन्द के राजस्व रिकॉर्ड में श्री
 गणेशलाल तुलसीराम सेवाराम परसराम हिरालाल पिता डालचन्द, देवीलाल शंकरलाल
 सत्यनारायण पिता सेवाराम, भगुबाई बेवा सेवाराम, राधाकिशन मगनलाल पिता परसराम,
 सोहनलाल पिता चैनराम, चुन्नीलाल गोपीलाल पिता खेमराज ब्राह्मण सा. देह हि. ब. के नाम
 पर खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। जरिये नामा. सं. 855 विरासत-04/06/2009
 राधाकिशन पिता परसराम 1/8 के बजाय लक्ष्मीलाल जितेन्द्र पिता राधाकिशन रूकमाबाई बेवा
 राधाकिशन 1/8 ब्राह्मण के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। सहवन से लक्ष्मीलाल जितेन्द्र
 पिता राधाकिशन रूकमाबाई बेवा राधाकिशन का हिस्सा 1/8 दर्ज हो गया। जबकि सही
 हिस्सा 1/12 दर्ज होना था। ग्राम मोरवड़ की जमाबंदी संवत् 2066-2069 के खाता संख्या
 190 के खसरा नं. 67 क्षेत्रफल 11-14 बीघा, किस्म-बीड़-2, खसरा नं. 68 क्षेत्रफल 3-17
 बीघा कुल किता 02, कुल क्षेत्रफल 15-11 बीघा ग्राम मोरवड़, पटवार हल्का पिपलांत्री कलां,
 तहसील-राजसमन्द, जिला-राजसमन्द के राजस्व रिकॉर्ड में मैसर्स आर. के. मार्बल प्रा.लि.
 मोरवड़, तहसील व जिला - राजसमन्द 9/20, देवीलाल शंकरलाल सत्यनारायण पिता
 सेवाराम भगुबाई बेवा सेवाराम 1/20, मगनलाल पिता परसराम 1/8, सोहनलाल पिता
 चैनराम 1/4, लक्ष्मीलाल जितेन्द्र पिता राधाकिशन रूकमाबाई बेवा राधाकिशन 1/8 ब्राह्मण
 सा. देह के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। सहवन से मगन लाल पिता परसराम
 का हिस्सा 1/12 की बजाय 1/8 दर्ज हो गया। जरिये नामा. सं.
 887-बेचान-20/11/2009 से पूरे खाते में मगनलाल पिता परसराम 1/8 के बजाय मैसर्स
 आर. के. मार्बल प्रा.लि. मोरवड़, तह. जिला राजसमन्द 1/8 के नाम दर्ज करने की स्वीकृति
 हुई। ग्राम मोरवड़ की जमाबंदी संवत् 2070-2073 के खाता संख्या 211 के खसरा नं. 67
 क्षेत्रफल 11-14 बीघा, किस्म-बीड़-2, खसरा नं. 68 क्षेत्रफल 3-17 बीघा कुल किता 02, कुल
 क्षेत्रफल 15-11 बीघा ग्राम मोरवड़, पटवार हल्का पिपलांत्री कलां, तहसील-राजसमन्द,
 जिला-राजसमन्द के राजस्व रिकॉर्ड में मैसर्स आर. के. मार्बल प्रा.लि. मोरवड़, तहसील व
 जिला राजसमन्द 5/8, सोहनलाल पिता चैनराम 1/4, लक्ष्मीलाल जितेन्द्र पिता राधाकिशन
 रूकमाबाई बेवा राधाकिशन 1/8 ब्राह्मण सा. देह के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड
 है। जरिये नामा. सं. 1070-नि.दि. 25/09/2017 विरासत से रूकमाबाई बेवा राधाकिशन
 1/24 ब्राह्मण के बजाय लक्ष्मीलाल जितेन्द्र बसन्ती कमला भावना भारती पिता राधाकिशन
 1/24 ब्राह्मण के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जरिये नामा. सं. 1073-नि.दि.
 21/11/2017 हकत्याग से लक्ष्मीलाल जितेन्द्र बसन्ती कमला भावना भारती पिता राधाकिशन
 1/24 ब्राह्मण सा. देह के बजाय लक्ष्मीलाल जितेन्द्र पिता राधाकिशन 1/24 ब्राह्मण सा. देह

सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)

के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जरिये नामा. सं. 1109 स्वीकृत दि. 21/8/2020 बेचान से लक्ष्मीलाल जितेन्द्र पिता राधाकिशन 1/24 बाह्यण सा. देह के बजाय मैसर्स वण्डर वॉलकेयर प्राईवेट लिमिटेड, ओल्ड फतहपुरा, सेवा मन्दिर के पास, उदयपुर 1/8 सा. उदयपुर से दर्ज करने की स्वीकृति हुई। नामा. सं. 393 दिनांक 14/6/1993 रिलीजडीड से देवकिशन गोर्धन देवीलाल सत्यनारायण पिता गणेशलाल का सम्पूर्ण हिस्सा चैनराम पिता नगजीराम के नाम दर्ज हुआ परन्तु नवीन जमाबंदी संवत् 2050-53 के खाता सं. 43 में चैनराम पिता नगजीराम का नाम दो बार नहीं लिखा गया तथा न ही देवकिशन गोर्धन देवीलाल सत्यनारायण पिता गणेशलाल का हिस्सा चैनराम पिता नगजीराम के जोड़ा गया। जिसके कारण देवकिशन गोर्धन देवीलाल सत्यनारायण पिता गणेशलाल का हिस्सा आधा चैनराम पिता नगजीराम के तथा आधा राधाकिशन मगनलाल पिता परसराम के जुड़ गया। बाद में मगनलाल पिता परसराम ने अपना 1/8 हिस्सा मैसर्स आर. के. मार्बल प्रा.लि. मोरवड़ को विक्रय कर दिया जबकि उनका हिस्सा 1/12 ही बनता था तथा राधाकिशन पिता परसराम के वारिसान लक्ष्मीलाल जितेन्द्र पिता राधाकिशन ने अपना 1/8 हिस्सा मैसर्स वण्डर वॉलकेयर प्राईवेट लिमिटेड, ओल्ड फतहपुरा, सेवा मन्दिर के पास, उदयपुर के नाम विक्रय कर दिया जबकि उनका हिस्सा 1/12 ही बनता था।

अतः ग्राम मोरवड़ के वर्तमान खाता संख्या 211 के खसरा नं. 67 क्षेत्रफल 1.8939 हेक्टेयर, किस्म-बीड़-2, खसरा नं. 68 क्षेत्रफल 0.6232 हेक्टेयर, किस्म-बीड़-2 कुल खसरा-02, कुल क्षेत्रफल 2.5171 हेक्टेयर में मैसर्स आर.के. मार्बल प्रा. लि. मोरवड़, तहसील व जिला राजसमन्द हिस्सा-5/8, मैसर्स वण्डर वॉलकेयर प्राईवेट लिमिटेड, ओल्ड फतहपुरा, सेवा मन्दिर के पास, उदयपुर सा. उदयपुर हिस्सा-1/8, सोहनलाल पुत्र चैनराम जाति ब्राह्मण हिस्सा- 1/4 सा. देह के बजाय मैसर्स आर. के. मार्बल प्रा. लि. मोरवड़, तहसील व जिला राजसमन्द का हिस्सा 7/12, मैसर्स वण्डर वॉलकेयर प्राईवेट लिमिटेड, ओल्ड फतहपुरा, सेवा मन्दिर के पास, उदयपुर सा. उदयपुर, का हिस्सा 1/12 सोहनलाल पुत्र चैनराम जाति ब्राह्मण सा. देह का हिस्सा 1/3 शुद्ध किया जाना उचित होगा।

प्रार्थी तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पाया जाने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया जाकर जाकर विपक्षी संख्या 1 मैसर्स आर. के. मार्बल प्रा.लि. मोरवड़ एवं विपक्षी संख्या 2 मैसर्स वण्डर वॉलकेयर प्राईवेट लिमिटेड, ओल्ड फतहपुरा, सेवा मन्दिर के पास, उदयपुर को सम्मन जारी किये गये। उक्त विपक्षी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया।

हमने परोकार सरकार को एकपक्षीय सुना जिन्होंने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम मोरवड़ के वर्तमान खाता संख्या 211 के खसरा नं. 67 क्षेत्रफल 1.8939 हेक्टेयर, किस्म-बीड़-2, खसरा नं. 68 क्षेत्रफल 0.6232 हेक्टेयर, किस्म-बीड़-2 कुल खसरा-02, कुल क्षेत्रफल 2.5171 हेक्टेयर में मैसर्स आर.के. मार्बल प्रा. लि. मोरवड़, तहसील व जिला राजसमन्द हिस्सा-5/8, मैसर्स वण्डर वॉलकेयर प्राईवेट लिमिटेड, ओल्ड फतहपुरा, सेवा मन्दिर के पास, उदयपुर सा. उदयपुर हिस्सा-1/8, सोहनलाल पुत्र चैनराम जाति ब्राह्मण हिस्सा- 1/4 सा. देह के बजाय मैसर्स आर. के. मार्बल प्रा. लि. मोरवड़, तहसील व जिला राजसमन्द का हिस्सा 7/12, मैसर्स वण्डर वॉलकेयर प्राईवेट लिमिटेड, ओल्ड फतहपुरा, सेवा मन्दिर के पास, उदयपुर सा. उदयपुर, का हिस्सा 1/12 सोहनलाल पुत्र चैनराम जाति ब्राह्मण सा. देह का हिस्सा 1/3 शुद्ध किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने परोकार सरकार को सुनकर मनन किया व पुत्रावली का अवलोकन किया। पुत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2077 अनुसार राजस्व ग्राम मोरवड़ के खसरा नं. 67 क्षेत्रफल 1.8939 हेक्टेयर, खसरा नं. 68 क्षेत्रफल 0.6232 हेक्टेयर भूमियां मैसर्स आर.के.


सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

मार्बल प्रा. लि. मोरवड़, तहसील व जिला राजसमन्द हिस्सा 5/8, मैसर्स वण्डर वॉलकेयर प्राईवेट लिमिटेड, ओल्ड फतहपुरा, सेवा मन्दिर के पास, उदयपुर सा. उदयपुर हिस्सा 1/8, सोहनलाल पुत्र चैनराम जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/4 सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा उक्त गलत अंकन को दुरस्त किया जाकर ग्राम मोरवड़ के खसरा नं. 67 क्षेत्रफल 1.8939 हेक्टेयर, खसरा नं. 68 क्षेत्रफल 0.6232 हैक्टेयर भूमियों में मैसर्स आर. के. मार्बल प्रा. लि. मोरवड़, तहसील व जिला राजसमन्द का हिस्सा 7/12, मैसर्स वण्डर वॉलकेयर प्राईवेट लिमिटेड, ओल्ड फतहपुरा, सेवा मन्दिर के पास, उदयपुर सा. उदयपुर, का हिस्सा 1/12 सोहनलाल पुत्र चैनराम जाति ब्राह्मण सा. देह का हिस्सा 1/3 शुद्ध किये जाने की अनुषंशा की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्राप्त रिपोर्ट/अनुषंशा के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मोरवड़ के खसरा नं. 67 क्षेत्रफल 1.8939 हेक्टेयर, खसरा नं. 68 क्षेत्रफल 0.6232 हैक्टेयर भूमियों में खातेदारान के दर्ज हिस्सों का शुद्धि किया जाकर मैसर्स आर. के. मार्बल प्रा. लि. मोरवड़, तहसील व जिला राजसमन्द का हिस्सा 5/8 के बजाय हिस्सा 7/12, मैसर्स वण्डर वॉलकेयर प्राईवेट लिमिटेड, ओल्ड फतहपुरा, सेवा मन्दिर के पास, उदयपुर सा. उदयपुर का हिस्सा 1/8 के बजाय हिस्सा 1/12, सोहनलाल पुत्र चैनराम जाति ब्राह्मण सा. देह का हिस्सा 1/4 के बजाय हिस्सा 1/3 किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु तहसीलदार राजसमन्द को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द

उक्त आदेश आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द